न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ,जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारी :– प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व मूल वाद संख्या :– 47/2023
जीसीएमएस नंबर :– 2023/160
वादी :–

1. माणकराम पुत्र श्री दासुराम जाति माली निवासी–ग्राम गोलासनी तह. व जिला जोधपुर के कायम मुकामः–

   1/1 श्री राम सोलंकी पुत्र स्व. श्री माणकराम जाति माली, निवासी ग्राम गोलासनी, तह. व जिला जोधपुर।

बनाम्

प्रतिवादीगण :–

1. जीयाराम पुत्र श्री गुमनाराम
2. रामाराम पुत्र श्री गुमनाराम
3. कैलाश पुत्र श्री मूलाराम देवड़ा
4. तारा देवी पत्नी स्व. श्री किशनाराम
5. मोहनी पत्नी श्री अचलाराम सांखला
6. हनुमानराम पुत्र स्व. श्री नैनाराम
7. उम्मेदराम पुत्र स्व. श्री रतनाराम
8. राजूराम पुत्र स्व. श्री रत्नाराम
9. जेठाराम पुत्र स्व. श्री रतनाराम
10. अमृतलाल पुत्र स्व. श्री प्रेमाराम
    निवासीयान– ग्राम गोलासनी, तह. व जिला जोधपुर।
11. भूमिधारी जरिए तहसीलदार जोधपुर।

वाद बाबत घोषणा बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत

धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

01. श्री पुखराज़ गहलोत अधिवक्ता वादी की ओर से।

02. प्रतिवादी सं. 1 से 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

–:: निर्णय::– **दिनांक :–** 6/4/26

न्यायालय हाजा द्वारा पारित संशोधित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2026 जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खसरा सं. 49/1 से 49/11 ग्राम गोलासनी पटवार हल्का बागा तह. व जिला जोधपुर में वादीगण द्वारा वादपत्र में चाही गई इस्तदुआ अनुसार वादी के हिस्से 3/256 (जमाबंदी अनुसार) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप वादी द्वारा प्रस्तुत विभाजन का अनुतोष भी स्वीकार किया गया था। तहसीलदार जोधपुर से प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2025, संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2026 राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के अनुसार बाई

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

मिट्स एण्ड बाउण्डस के द्वारा कब्जे व जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर नजरी नक्शा के साथ बंटवाडा विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया।

न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2025, संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2026 की पालना में तहसीलदार जोधपुर से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 2 के अनुसार प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया जिसकी पालना में तहसीलदार जोधपुर से प्राथमिक निर्णय व डिक्री, संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री प्रस्ताव तहसीलदार जोधपुर के पत्रांक भू.अ./2026/1867 दिनांक 23.03.2026 को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया जिसके अनुसार अनुसार वादी माणकराम पुत्र दासुराम के बंट में ग्राम गोलासनी पटवार हल्का बागा तह. व जिला जोधपुर के खसरा सं. 49/10 में 0.0431 हैक्टेयर जिसमें वादी का कब्जा है एवं जमाबंदी में हिस्सा अनुसार 3/356 है, जो वादी द्वारा रखना प्रस्तावित किया गया है खसरा सं. 49/1 से 49/11 में अशोक पुत्र सन्तोकसिंह वगैराह (माणकराम पुत्र दासुराम को छोड़कर) समस्त खातेदार का बंट रकबा 3.6396 हैक्टेयर प्रस्तावित किया गया है जिस संबंध में किसी भी पक्षकरान द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुकूल पाये जाने से व उपरोक्त विवेचानुसार प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव में तथ्यात्मक व विधिक दृष्टि से कोई त्रुटि नहीं होने से वादी को वाद मुताबिक बंटवाडा प्रस्ताव मय राजस्व नक्शा को अंतिम डिक्री निम्नानुसार पारित की जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखल या कब्जा काश्त नहीं करे। अन्तिम डिक्री के अनुसार तहसीलदार जोधपुर को मौके पर सीमाएं कायम कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किए जाने की आज्ञा दी जाती है।

(प्रीतम कुमार)आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

निर्णय दिनांक 6/4/26 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 21 रूल 3, 7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर** मुकाम जोधपुर व इजलास

पीठासीन अधिकारी :– प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या :– 47 / 2023

जीसीएमएस नंबर :– 2023 / 160

वादी :–

1. माणकराम पुत्र श्री दासुराम जाति माली निवासी–ग्राम गोलासनी तह. व जिला जोधपुर के कायम मुकामः–

   1/1 श्री राम सोलंकी पुत्र स्व. श्री माणकराम जाति माली, निवासी ग्राम गोलासनी, तह. व जिला जोधपुर।

बनाम्

प्रतिवादीगण :–

1. जीयाराम पुत्र श्री गुमनाराम
2. रामाराम पुत्र श्री गुमनाराम
3. कैलाश पुत्र श्री मूलाराम देवड़ा
4. तारा देवी पत्नी स्व. श्री किशनाराम
5. मोहनी पत्नी श्री अचलाराम सांखला
6. हनुमानराम पुत्र स्व. श्री नैनाराम
7. उम्मेदराम पुत्र स्व. श्री रतनाराम
8. राजूराम पुत्र स्व. श्री रत्नाराम
9. जेठाराम पुत्र स्व. श्री रतनाराम
10. अमृतलाल पुत्र स्व. श्री प्रेमाराम
    निवासीयान– ग्राम गोलासनी, तह. व जिला जोधपुर।
11. भूमिधारी जरिए तहसीलदार जोधपुर।

दावा बाबत् 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट.में मुकदमा नम्बर 47 / 2023 यह मुकदमा वास्ते इनकिलास कतई रूबरू हमारे वादीगण अधिवक्ता श्री पुखराज गहलोत हजारी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः– तहसीलदार जोधपुर के पत्रांक भू.अ. / 2026 / 1867 दिनांक 23.03.2026 को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया जिसके अनुसार अनुसार वादी माणकराम पुत्र दासुराम के बंट में ग्राम गोलासनी पटवार हल्का बागा तह. व जिला जोधपुर के खसरा सं. 49 / 10 में 0.0431 हैक्टेयर जिसमें वादी का कब्जा है एवं जमाबंदी में हिस्सा अनुसार 3 / 356 है, जो वादी द्वारा रखना प्रस्तावित किया गया है एवं खसरा सं. 49 / 1 से 49 / 11 में अशोक पुत्र सन्तोकसिंह वगैराह (माणकराम पुत्र दासुराम को छोड़कर) समस्त खातेदार का बंट रकबा 3.6396 हैक्टेयर प्रस्तावित किया गया जिस संबंध में किसी भी पक्षकरान द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुकूल पाये जाने से व उपरोक्त विवेचानुसार प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव में तथ्यात्मक व विधिक दृष्टि से कोई त्रुटि नहीं होने से वादी को वाद मुताबिक बंटवाडा प्रस्ताव मय राजस्व नक्शा को अंतिम डिक्री निम्नानुसार पारित की जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखल या कब्जा काश्त नहीं करे। अन्तिम डिक्री के अनुसार तहसीलदार जोधपुर को मौके पर सीमाएं कायम कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किए जाने की आज्ञा दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

राजस्थान सरकार

लीज....ग......मुबलिक......ग.....बाबत्.....ग....खर्चा इस मुकदमें के मय सुद वगैरह.........ग....की सदी सलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......ग........को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 6/4/26 की जारी की गई।

(प्रीतम कुमार) आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर (उत्तर)

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प जारी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकिल		
खर्चा अहवान्			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मतफरिक			मतफरिक		

नोट– इस खर्च के फार्म हर दी फरीकेन या वाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर (उत्तर)